

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

कदमा वाड विपक्षी चन्द्र प्रकाश
पत्रावली संख्या 16/20 सन _____

कार्यवाही विवरण हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

29/11/21 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 28/03/22 को पेश हो।

28/3/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक.....को पेश हो।

13/5/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक...21/9/22 को पेश हो।

21/9/22 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप. के लिये मौका चाहते हैं। अतः...21/9/22 भ्रमण दिया जाकर पत्रावली दिनांक...4/11/22 को पेश हो।

SDO मावली

4/11/22 वकूलाय वादी/प्रतिवादी उप. के लिये मौका चाहते हैं। अतः...13/01/23 भ्रमण दिया जाकर पत्रावली दिनांक...13/01/23 को पेश हो।

SDO मावली

13/1/23 आज दिनांक की बार एसोसियेशन मावली ने कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक...17/3/23 को पेश हो।



17/5/23

दिनांक की बात पत्रावली में न मानें
वे कार्य स्वयंसेवक रूप में करने का अनुरोध किया।
अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक...
...05/05/23 को पेश हो।

20/4/23

पत्रावली तालव की गई। "प्रशासन गांधी के संग
अभियान 2023" आयोजित किया जाने से पत्रावली
में अधिवक्ता पक्षकारान को सूचित किया जाकर
पत्रावली के मा. वादीयों को
दिनांक 4/5/23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) भावली

4/5/23

पत्रावली आज कैंप में पेश हुई।
प्रकरण में पक्षकारों को मध्य राजी-
नामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली
पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय
हाजा में दिनांक-22/7/23 को
पेश हो।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) भावली

30/06/2023

कॉन्ट्रोल नो. 5018

Sh. by
me
10/4/23

पत्रावली अधिवक्ता वाली मय वादी द्वारा
तालव मय विद्रो को पेश करने पर तालव की
गई। वादीयों की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश्वर जैन
द्वारा कालसनामा पेश किया, मा. फा. रहे। अधिवक्ता
वादीयों मय वादीयों द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण
में कोई कार्यवाही नहीं चाहकर प्रकरण को उम्मी स्तर
पर श्रेय किया जाने का निवेदन किया। वादीयों की
पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। अतः वादीयों
को कोई कार्यवाही नहीं चालने से अतः इस पत्रावली
को आगे चलाये जाने का कोई प्रयत्न नहीं है। अतः
प्रकरण में वादीयों कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रकरण को
उम्मी स्तर पर श्रेय किया जाता है। पत्रावली कैंपल सुमार
को प्रकरण नम्बर से कम हो।



निर्णय सुनया गया।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) भावली